200/2024

29/5/26 पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) की तरफ से प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए बहस में अभिकथन किया कि विप्रार्थी (प्रार्थीगण) के द्वारा उनके विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में एक राजस्व ओवदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्ततु इस आशय किया गया कि विप्रार्थी (प्रार्थीगण) की खातेदारी का खेत मौजा नाकोड़ा तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर का आया हुआ है। विप्रार्थी (प्रार्थीगण) अपने खेत तक पहचने मौजा नाकोड़ा तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 24 रकबा 0.4207 हैक्टेयर में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। कि प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) को बिना सूचना व नोटिस दिये ही दिनांक 04–12–2024 को विप्रार्थी (प्रार्थीगण) का आवेदन स्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) के द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 04–12–2024 को को इन तथ्यों के आधार पर खारिज फरमाया जावे, कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) को सुनवाई हेतु सम्मन जारी नही किये तथा सूचना दिये बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थीगण का सूनवाई का सूचित अवसर प्रदान नही किया। प्राकृतिक न्याय का सिन्द्वात है कि प्रत्येक पक्ष को सुनो। लेकिन न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) को सुनवाई हेतु समन जारी नहीं किये गये। कि प्रस्ताविक भूमि कभी कोई मार्ग नहीं था तथा विप्रार्थी (प्रार्थीगण) को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता का अन्य विकल्प मौजुद है जिसको विप्रार्थी (प्रार्थीगण) अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग मे लेता है। विप्रार्थी (प्रार्थीगण) ने केवल प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) को तग व नाहक परेशान करने की नियत से यह मनगढ़त व सराहीन तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। साथ ही तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय व गलत बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के व पड़ोसीयान के हस्ताक्षर नही है तथा न ही तो मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारो को सूचित किया गया। कि जब मौका कमिशनर तहसीलदार सिणधरी को नियुक्त किया गया था। परन्तु इस प्रकरण में न्यायालय के आदेशो की पालना में प्रदत्त मौका कमिशनर की शक्तियां आगे निरीक्षक भू अभिलेख को हस्तान्तरित कर दी जबकि न्याय का यह सुस्पष्ट मत है कि delegated power can not be delegate और इस मत अनुसार जो मौका रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुए है वे अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये है जो रेकर्ड पर लिये जाने के योग्य ही नहीं हैं। जब विप्रार्थी (प्रार्थीगण) ने खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टेयर मे आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है, जो मुल खसरा संख्या 25 का भाग है। जो मुल खसरा संख्या 25 से विभक्त होकर नये खसरे संधारित किये गये है। मुल खसरा संख्या 25 से विभक्त होकर बने नये खसरे रास्ता से जुडे हुये है। खसरा संख्या 25/2 विप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। जो रास्ता से जुड़ा हुआ है। खसरा संख्या 25/2 व 424/25 एक ही खातेदारान की भूमि है। इस कारण प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) के खातेदारी की भूमि मे से रास्ता की गलत मांग की गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमान न्यायालय द्वारा राजस्व वाद सख्या 144/2024 बअनवान कवराराम बनाम मुकनसिह में पारित आदेश दिनाक 04–12–2024 को निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी(प्रार्थीगण) ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए बहस के समर्थन में कथन किया कि विप्रार्थी(प्रार्थीगण) के खेत खसरा संख्या 424/25 के खेत को रास्ता से जोड़ने हेतु प्रार्थी (विप्रार्थी सं. 2 व 4) के खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी